देश में सड़क हादसों को रोकने के लिए ऑटो मैटिक ब्रेकिंग अनिवार्य बनाने की तैयारी

खतरे में कार खुद लगाएगी ब्रेक

तकनीक

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए केंद्र ने नई कारों में उन्नत स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग प्रणाली अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है।

यह प्रणाली आपात स्थिति में खुद ब्रेक लगाकर टक्कर को टाल सकती है या हादसे के प्रभाव को कम कर सकती है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, एक अक्टूबर 2030 से सभी नए कार मॉडल में इस प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। वहीं, 2030 से पहले से बाजार में मौजूद और आगे उत्पादन में रहने वाले मॉडलों को अक्टूबर 2032 तक यह सुविधा देनी होगी। यह प्रणाली समय-समय पर संशोधित एआईएस-185 मानक के अनुरूप होनी चाहिए।

चालक के ब्रेक नहीं लगाने पर सिस्टम कार रोकेगा

एईबीएस ऐसी सुरक्षा तकनीक है, जो वाहन के सामने मौजूद वाहन या किसी बाधा से संभावित टक्कर का पता लगाती है। पहले यह चालक को चेतावनी देती है। यदि चालक समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो सिस्टम ब्रेक लगा सकता है। इसका उद्देश्य टक्कर को टालना या उसकी गंभीरता कम करना है। सड़क, मौसम, सेंसर की क्षमता और सामने मौजूद वस्तु जैसी परिस्थितियों के आधार पर असर अलग हो सकता है।

01 अक्तूबर 2030 से सभी नए कार मॉडल में इस को लगाना अनिवार्य होगा

ट्रकों में ब्रेकिंग सुरक्षा बढ़ेगी

सरकार ने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने को ब्रेकिंग प्रणाली से जुड़े कई उपायों का प्रस्ताव किया है। ट्रकों के लिए संशोधित ब्रेकिंग मानक अक्तूबर 2027 से जरूरी किया जाएगा। ट्रकों में इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली (एआईएस-162) को भी एक अक्तूबर 2027 से अनिवार्य करने का प्रावधान है। यह प्रणाली विशेष रूप से मोड़ पर ब्रेक लगाने के दौरान वाहन को स्थिर रखने में मदद करती है।

भारत की स्थिति

भारत में भी यह तकनीक महंगी है और कुछ प्रीमियम कारों में उन्नत चालक सहायता प्रणाली (एडीएएस) के हिस्से के रूप में मिल रही है। कुछ कंपनियों के महंगे मॉडलों में एईबीएस या उससे मिलती-जुलती ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सुविधा मिलती है।

इन देशों में अनिवार्य

1 यूरोपीय संघ
ईयू में नए वाहन मॉडलों के लिए ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग को 2022 से और सभी नए वाहनों के लिए 2024 से जरूरी किया गया।

2 जापान
जापान इस मामले में आगे रहने वाले देशों में है। नए वाहनों में एईबीएस को चरणबद्ध तरीके से नवंबर 2021 से अनिवार्य किया गया।

3 ऑस्ट्रेलिया
यह व्यवस्था नए मॉडल और बाजार में बिकने वाले सभी नए वाहनों के लिए अलग-अलग चरणों में लागू हुई।

4 अमेरिका
यहां की 20 प्रमुख वाहन कंपनियों ने 2022 तक लगभग सभी नई कारों में यह सुविधा उपलब्ध करवा दी थी।

तमिलनाडु में पहली डेंगू वैक्सीन का परीक्षण शुरू

चेन्नई, एजेंसी। स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने गुरुवार को बताया कि तमिलनाडु के तेनकासी जिले में भारत का पहला डेंगू वैक्सीन अध्ययन किया जा रहा है। इसकी देखरेख आईसीएमआर कर रहा है।

यहां बाल विकास पर आयोजित एक कार्यशाला के दौरान उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन ब्राजील के टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारतीय परिस्थितियों में इसकी प्रभावशीलता की जांच की जा रही है। फिलहाल, यह गंभीर परिणामों और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत से 80 से 90 % तक सुरक्षा प्रदान करती है।

मलेरिया वैक्सीन की कीमत 40% कम करने पर सहमतिः यूनिसेफ और जिनेवा स्थित वैश्विक वैक्सीन समूह 'गावी' ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने मॉस्किरिक्स मलेरिया वैक्सीन की कीमत में लगभग 40% की कटौती करने के लिए एक समझौता किया है। यूनिसेफ द्वारा किए गए और गावी द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित इस समझौते से 2027 से 2029 के बीच लगभग 50 मिलियन डॉलर की बचत होने की उम्मीद है।

मरीजों को गैरजरूरी दवा नहीं लिखेंगे डॉक्टर

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने गैरजरूरी दवाओं और उनके तर्कहीन इस्तेमाल को रोकने के लिए नई पहल की है। इसके तहत अब डॉक्टर मरीजों को सिर्फ उन्हीं दवाओं को लेने की सलाह देंगे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। प्रिस्क्रिप्शन में गैरजरूरी दवाओं के लिखे जाने से एक तरफ जहां मरीजों का बिल बढ़ जाता है। वहीं, ड्रग रेजिस्टेंस जैसी समस्या पैदा होती है। मंत्रालय के इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया 2026 में शामिल की जाने वाली दवाओं के चयन के लिए मानदंड तय किए हैं।

देश 30s

शिलांग में ईडी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके

शिलांग। पुलिस ने बताया कि गुरुवार तड़के बाइक सवार दो लोगों ने शिलांग में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय वाली इमारत पर पेट्रोल बम फेंके। दो दिनों में सरकारी प्रतिष्ठानों पर हुआ यह दूसरा हमला है। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने बताया कि लैंगकिर्डिंग इलाके में स्थित इस इमारत को हमले से कोई ढांचागत नुकसान नहीं पहुंचा है। इमारत के अंदर मौजूद गार्ड को सुबह तक हमले का पता ही नहीं चला।

मुझे चुप कराने की रची जा रही साजिश : जरांगे

जालना। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने गुरुवार को दावा किया कि उन्हें चुप कराने और आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची गई है। जरांगे ने वायरल ऑडियो क्लिप की जांच की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के माध्यम से उन्हें 500 करोड़ रुपये दिए गए। जरांगे ने जालना में एक संवाददाता सम्मेलन में ऑडियो क्लिप जारी की और आरोप लगाया कि यह उनके आरक्षण आंदोलन को कुचलने की साजिश है।

भाअजप्रा IWAI

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
ए–13, सेक्टर–1, नोएडा–201 301 (उ०प्र०);
फोन: 0120–2474050 एवं 2544036

सूचना दिनांकः 22.10.2026

संदर्भः रोज़गार सूचना सं. आईडब्ल्यूएआई–17011/6/2026–प्रशा. भर्ती दिनांक 14.08.2026

उपर्युक्त के संदर्भ में, 03 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर 'प्राइवेट सेक्रेटरी' के 01 रिक्त पद को भरने हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **18 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है।**
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया IWAI की वेबसाइट **www.iwai.gov.in** पर जाएं।

हस्ता/–
सचिव

सेबी ने फर्जी व्हाट्सऐप ग्रुप से सचेत किया

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को निवेशकों को फर्जी व्हाट्सऐप समूहों के जरिये शेयरों में निवेश की सलाह देने वाले लोगों से सावधान रहने को कहा। ऐसे समूह झूठे समर्थन संदेश और मनगढ़ंत मुनाफे के दावे कर निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। सेबी ने बताया कि कुछ अपंजीकृत लोग मुफ्त निवेश शिक्षा के नाम पर केवल आमंत्रण से जुड़ने वाले व्हाट्सऐप समूहों में शेयर खरीदने-बेचने के सुझाव देते हैं। इनके संचालक अक्सर खुद को बाजार विशेषज्ञ बताते हैं और विदेशी व्हाट्सऐप नंबरों का इस्तेमाल करते हैं।

नेस्ले ने खाद्य नियामक को जवाब भेजा

नई दिल्ली, एजेंसी। नेस्ले इंडिया ने अपने शिशु पोषण उत्पाद 'लैक्टोजेन प्रो-1' के लेबल पर किए गए एक दावे को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को विस्तृत जवाब सौंपा है। नियामक ने इस दावे को साबित करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण मांगे थे कि उत्पाद में मौजूद 'व्हे प्रोटीन' आसानी से पच जाता है। नेस्ले इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि नियामक की हालिया पोस्ट में उन बातों को फिर से दोहराया गया है, जो 18 सितंबर की पिछली पोस्ट में उत्पाद लेबल के संबंध में उठाई गई थीं। हमने इस मामले पर नियामक को अपना विस्तृत जवाब पहले ही सौंप दिया है।

आईफोन डुओ प्री-बुकिंग में ही बिक गया

नई दिल्ली, एजेंसी। एप्पल के सबसे महंगे फोल्डेबल आईफोन 'आईफोन डुओ' की भारत में पहले सप्ताह की उपलब्ध खेप प्री-बुकिंग के दौरान ही बिक गई है। करीब तीन लाख रुपये से लेकर 4.5 लाख रुपये तक कीमत वाला 'आईफोन डुओ' एप्पल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन है। सूत्रों के गुरुवार को बताया कि मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) और नई दिल्ली के साकेत स्थित एप्पल स्टोर पर इसकी सबसे अधिक प्री-बुकिंग दर्ज की गई है। भारत में इस फोन की बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होगी। भारत में आईफोन डुओ की पहले सप्ताह की पूरी खेप बिक चुकी है। बीकेसी और साकेत स्थित एप्पल स्टोर पर इसकी बुकिंग की संख्या लगभग बराबर है।

ncrtc राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि.
(भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम)

निविदा सं.: डीएम/सीएम/सीई–एसवाई/322 **ई–निविदा सूचना** निविदा आईडी: 2026_NCRTC_291631_1

कॉर्पोरेट कार्यालय में सिविल एवं विविध कार्यों तथा कॉर्पोरेट कार्यालयों, नई दिल्ली के विस्तार के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

विस्तृत जानकारी एवं अनुवर्ती परिशिष्ट/शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के लिए कृपया एनसीआरटीसी वेबसाइट **www.ncrtc.in** या सीपीपी पोर्टल **www.eprocure.gov.in/eprocure/app** को 23.10.2026 से 25.11.2026 (1500 बजे तक) देखें। हस्ता/– सीई/स्टेब्लिंग यार्ड

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ गाजियाबाद
(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रीना अरोड़ा पत्नी स्व० श्री राजेश अरोड़ा द्वारा प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या–KM-24, कविनगर, गाजियाबाद क्षेत्रफल 227.00 वर्ग मी0 पर FASTPAS पोर्टल के माध्यम से आवेदन संख्या–GDA/BP/MS/2026-27/3324 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 के अध्याय–15 के प्रस्तर–15.1.3 (i) (iv) व (v) में उल्लेखित है कि महायोजना भू–उपयोग अथवा अनुमोदित ले–आउट में परिभाषित भू–उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है। प्रश्नगत स्थल मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार आवासीय उपयोग में आवासीय सह व्यवसायिक उपयोग किये जाने हेतु अनुमन्य है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक/स्वागत कक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। कार्यालय में नियत अवधि में प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेंगा।

सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, @Gda Ghaziabad : gdagzb
हेल्पलाईन नं: 0120-4418384 व्हाट्सएप :9990988004, वेबसाईट : www.gdaghaziabad.in
एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग

संक्षिप्त विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत विभिन्न विशिष्टताओं के आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु साक्षात्कार कार्यक्रम निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	विज्ञापन संख्या	विभाग	विभाग संख्या	पद का नाम	साक्षात्कार की तिथि	पदों की संख्या
1.	डी-1/ई-1/2026	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0	एस-8/46	सहायक आचार्य, ऑटो-राइनो-लेरिंगोलॉजी (ई0एन0टी0)	29, 30 अक्टूबर, तथा 02, 03, 04 नवम्बर 2026	24
2.	डी-1/ई-1/2026	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0	एस-8/128	सहायक आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी (विशेष चयन)	29 अक्टूबर, 2026	06
3.	डी-1/ई-1/2026	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0	एस-8/22	आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी	29 अक्टूबर, 2026	01
4.	डी-1/ई-1/2026	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0	एस-8/89	सहायक आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी	30, अक्टूबर एवं 02, 03, 04 नवम्बर 2026	27
5.	डी-1/ई-1/2026	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0	एस-8/09	आचार्य, कार्डियोलॉजी	04 नवम्बर 2026	01
6.	डी-1/ई-1/2026	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0	एस-8/54	सहायक आचार्य, कार्डियोलॉजी	05 नवम्बर 2026	08
7.	डी-1/ई-1/2026	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0	एस-8/58	सहायक आचार्य, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	05 नवम्बर 2026	02
8.	डी-1/ई-1/2026	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0	एस-8/118	सहायक आचार्य, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन (विशेष चयन)	05 नवम्बर 2026	02
9.	डी-1/ई-1/2026	चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0	एस-8/13	आचार्य, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	05 नवम्बर 2026	01

नोट-साक्षात्कार कार्यक्रम की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध है।
संख्या- 01/ डी0आर0/एस-8/2026-27 (अनुपम मिश्रा)
दिनांक- प्रयागराज, 22 अक्टूबर, 2026 उपसचिव।

**कार्यालय जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, गाजियाबाद**

पत्रांकः 764/सहकारिता निर्वाचन दिनांकः 22 अक्टूबर 2026

अधिसूचना

एतद्द्वारा उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 के नियम संख्या - 24, 27 एवं 28 के प्राविधानों के अन्तर्गत मोहन नगर सहकारी आवास समिति लि० गाजियाबाद के निर्वाचन हेतु अनन्तिम क्षेत्र अवधारण की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक-17.10.2026 के दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशित किया गया था। अनन्तिम निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप उक्त प्रकाशित अनन्तिम क्षेत्र अवधारण को उ०प्र० राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 के नियम संख्या - 27(5) के अन्तर्गत यथावत् अन्तिम घोषित किया जाता है।

ह0/-
प्राधिकृत अधिकारी
जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक
सहकारिता-गाजियाबाद

DEFENCE INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY
(Deemed to be University U/s 3 of UGC Act, 1956),
Girinagar, Pune - 411 025.

Advt No: DIAT/F/ACAD/PHD/2026-01

Ph.D. ADMISSION NOTICE: JANUARY-2027

Defence Institute of Advanced Technology is an autonomous Institution, fully funded by the Department of Defence Research & Development, Ministry of Defence, established with the objective of imparting Post Graduate Education in Engineering and Applied Sciences on thrust area relevant to Defence, Industries, R&D and also to conduct research in the Core areas of Defence Technologies.
DIAT invites applications for the **Ph.D. programme** under Institutional Scholarship Category, in Engineering and Applied Sciences Departments. Details of Programmes, Application form, other terms & conditions are available at **www.diat.ac.in**.
In addition to the above, Industry Sponsored / Industry Self-Sponsored candidates, R & D Govt. Organisations, Tri-Services, DPSU's, Project Staff from DRDO Laboratories & DIAT (JRF/SRF/PA) & Candidates with CSIR-NET, DST, UGC-NET or any other National Fellowship / Scholarship available to them are also eligible to apply for Ph. D. admission.
Aspiring candidates may apply for admission to Ph.D. programme. Hard copy of the application along with relevant documents must reach to Joint Registrar (Academics), DIAT (DU) Girinagar, Pune-411025 latest by **1730 hours on or before 27 Nov. 2026**.

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP AT DIAT (DU) – 2027

DIAT invites applications for the Post-Doctoral Fellowship-2027. Eligible candidates may apply for the position of Postdoctoral Fellow. The application should be submitted to the Joint Registrar (Academics), DIAT (DU), Girinagar, Pune-411025, on or before 27 Nov 2026.

Application form, other terms & conditions are available at **www.diat.ac.in.**

न्यायालय श्री देवेंद्र कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस-08, कक्ष संख्या 701, सातवीं मंजिल, राउज़ एवेन्यू न्यायालय परिसर, नई दिल्ली।
अभियुक्त की उपस्थिति के लिए उद्घोषणा
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अंतर्गत)
सत्र वाद संख्याः 392/2017
Cr.No-VIII/21/DZU/2017
एनसीबी बनाम जोडवा फ्रेंकलिन

उद्घोषणा

1. चूंकि मेरे समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गई है कि अभियुक्त श्री ZODWA FRANKLIN @ MBAEZUE COLLINS TOCHUKWU, पुत्र श्री PRINE, निवासी प्लॉट संख्या 03, गली संख्या 22, जैन रोड, भगवती रोड एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली ने स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20/25/29 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है अथवा उस पर उक्त अपराध कारित करने का संदेह है; तथा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट इस रिपोर्ट के साथ लौटाया गया है कि अभियुक्त का पता नहीं चल सका। और चूँकि मुझे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है कि उक्त अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से फरार हो गया है अथवा स्वयं को छिपा रहा है, जिससे उसके विरुद्ध जारी वारंट की तामील नहीं हो पा रही है।

2. अतः एतद्द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त श्री ZODWA FRANKLIN @ MBAEZUE COLLINS TOCHUKWU दिनांक 28.11.2026 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपर्युक्त शिकायत के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस-08
राउज़ एवेन्यू न्यायालय परिसर
सातवीं मंजिल, कक्ष संख्या 701
नई दिल्ली

सीबीसी 19126/11/0096/2627

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

गृह मंत्रालय (प्रतिनियुक्ति के आधार पर सदस्य (वित्त) की नियुक्ति)

गृह मंत्रालय ने सदस्य (वित्त) के पद को भरने के लिए 18 सितंबर 2026 को एक रिक्ति परिपत्र (vacancy circular) जारी किया था, जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05.10.2026 थी। अब इस अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31.10.2026 कर दिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया गृह मंत्रालय की वेबसाइट **http://mha.gov.in** और LPAI की वेबसाइट **http://lpai.gov.in** पर जाएं।

सीबीसी 19142/11/0018/2627

SHIRT TROUSER & JEANS SALE
upto 60% off
Formal and Festival Collection
Formal & Party Wear
MEN & WOMEN
By Economy Sales: 9212758425
ARROW | PARK AVENUE | ColorPlus | Raymond | Levi's
• PUNCHKUIAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
• WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
• JANAKPURI B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543
• NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
• LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

GOVT. OF BIHAR
BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD
I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, Patna-14.
Website : bceceboard.bihar.gov.in / Helpdesk : helpdesk.bceceboard@bihar.gov.in

UNDER GRADUATE MEDICAL ADMISSION COUNSELLING (UGMAC)-2026 for MBBS/ BDS/ B.V.Sc. & A.H./ B.F.Sc. in Govt. Medical / Dental / Veterinary Colleges / College of Fisheries and Private Medical / Dental Colleges of Bihar

Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2026/16 Dated 22.10.2026

Notice regarding Extended Online Counselling Programme for Stray Vacancy Round

In continuation to Adv. No. BCECEB(UGMAC)-2026/14 & 2026/15 dated 18.10.2026, it is informed to all eligible & interested NEET(UG)-2026 qualified candidates and all concerned that in view of the receipt of complaint from the candidates regarding Server & Technical issues, they could not submit their Consent and Choice filling for participating in Stray Vacancy Round Counselling wihin scheduled date. So, in interest of candidates, the counselling programme for Online Registration & Submission of Application-cum-Choice filling / Consent is hereby extended as follows;

Extended Important Dates for UGMAC-2026 Stray Vacancy Round Counselling :

i. Last date of online Registration .... : 24.10.2026 (10.00 pm)
ii. Last date of submission of Application with payment through Debit Card/ Credit Card/ Net Banking/ UPI by Registered candidate/ Editing of Application Form data .... : 24.10.2026 (11.59 pm)
iii. Consent for Stray Vacancy Round with Payment (if any) from such candidates who have already duly submitted the Application Form earlier .... : upto 24.10.2026 (11.59 pm)
iv. Publication of Rank Card .... : 25.10.2026
v **Last date** of Choice Filling / Editing of Choices & Locking .... : 25.10.2026 (11.59 pm)
vi. Stray Vacancy Round Provisional Seat Allotment Result publication .... : 27.10.2026
vii. Downloading of Provisional Seat Allotment order .... : 27.10.2026 to 29.10.2026
viii. Documents Verification and Admission .... : 28.10.2026 to 29.10.2026

2. Rest of the terms / conditions for Stray Vacancy Round Counselling mentioned in Adv. No.-BCECEB(UGMAC)-2026/14 Dated 18.10.2026 will remain the same.

Controller of Examination

pnb पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, दक्षिण दिल्ली,
4वां तल, 7 पीएनबी हाउस, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली–110066
ईमेलः cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, की बिक्री नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को **"जहाँ है जैसा है"**, **"जो है जैसा है"**, तथा **"जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार के बकाये की वसूली के लिए की जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में दर्शानुसार होगी।

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम: / खाते का नाम: / उधारकर्ता/गारंटर/ खाते का नाम और पता:	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(E) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / (F) मांग सूचना के अनुसार राशि / (G) सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य / (B) ईएमडी / (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1.	पीएनबी शाखा एआरएमबी , भीकाजी कामा प्लेस श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र स्व. देवी राम शर्मा मकान नंबर–53 श्री नगर कॉलोनी सिंधोरा कलां अशोक विहार नई दिल्ली–110052	संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश मकान संख्या–53 बेसमेंट ऊपरी भूतल और तीसरी मंजिल पर श्रीनगर कॉलोनी सिंधोरा कलां अशोक विहार नई दिल्ली–110052 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है।	E) 26.09.2019 F) Rs.56.06 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 11.03.2020 H) सांकेतिक	A) रु. 244.80 लाख B) रु. 24.48 लाख C) रु. 1,00,000/-	26.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपर्याह्न 04.00 बजे	संपत्ति की बिक्री पर कोई एसए लंबित/रोक नहीं है	श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426
2.	पीएनबी शाखा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (037110) मैसर्स एन.आर.एस जींस (प्रोपराइटर– रहीस अहमद) IX/6788, कपूर बस्ती, एकता मार्केट के पास, गांधी नगर, नई दिल्ली–110031 **इसके अलावाः** एचए–12, हनुमान गली नं–1, अमृत कौर पुरी, टैंक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 **इसके अलावाः** एच.बी.–90, गली नं–3, बी–ब्लॉक, जेजे कॉलोनी, वेलकम, सीलमपुर, दिल्ली–110053 **इसके अलावाः** प्राइवेट फ्लैट NO-S-II D-48, दूसरी मंजिल, डीडीए कॉलोनी, वेस्ट गोरखपुर पार्क, न्यू जफराबाद, शाहदरा, ईस्ट दिल्ली–110032	श्री रहीस अहमद पुत्र श्री इंतजार हुसैन के नाम पर प्लॉट नंबर–D-48, ब्लॉक–डी, डीडीए कॉलोनी, न्यू जफराबाद, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित प्राइवेट फ्लैट नंबर S-II, दूसरी मंजिल (बाईं तरफ) छत के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर का संपूर्ण हिस्सा एवं अंश।	E) 23.09.2024 F) 67.10 लाख साथ ही आगे का ब्याज और अन्य शुल्क G) 11.12.2024 H) सांकेतिक	A) रु. 52.83 लाख B) रु. 5.283 लाख C) रु. 100000/-	26.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपर्याह्न 04.00 बजे	कोई एस.ए. दायर नहीं किया गया है और संपत्ति की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।	श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220, द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल **(1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ सभी मामलों में जारी किया गया है (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें।

दिनांक : 22.10.2026, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार